अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटाँड़(विद्यासागर)

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–150/सन्–2023

तिथि	आदेश फलक	मंतव्य
1	2	3
15.06.2023	**–:आदेशः–** अभिलेख उपस्थापित। उक्त संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद अंचल निरीक्षक, करमाटाँड़(विद्यासागर) के माध्यम से राजस्व उप निरीक्षक, हल्का सं0–02 के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरंभ किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक हल्का संख्या–02 ने अंचल निरीक्षक,करमाटाँड़(विद्यासागर) के माध्यम से प्रतिवेदन किया है कि अंचल करमाटाँड़(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा–मटटाँड़, थाना सं0–34, खाता सं0–14/1,दाग सं0–680, जमाबंदीदार–गुलाम मियाँ दिगर ग्राम– मटटाँड़, पोस्ट–पतरोडीह, थाना–करमाटाँड़, जिला जामताड़ा के नाम से जमाबंदी सं0–14/1 में जमाबंदी कायम है तथा लगान वर्ष 2015–16 तक जमा दर्ज है। प्राधिकार कालम में किसी भी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं होने तथा भूमि का किस्म पुरातन पतित होने के कारण उक्त जमाबंदी को संदिग्ध मानते हुए जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदीधारी अथवा उनके जीवित वारिशान को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। वादी की ओर से उनके पौत्र रजाक मियाँ पिता–रहमान मियाँ एवं पौत्र बेलाल अंसारी पिता–इसाक मियाँ ने उपस्थित होकर अपने दावा के समर्थन में अनुमंडल पदाधिकारी,जमताड़ा का बंदोबस्ती वाद सं0–78/1948–49 का आदेश तथा अंचल अधिकारी, करमाटाँड़(विद्यासागर) का लगानधार्य वाद सं0–04/2016–17 का शुद्धि–पत्र एवं लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया है। समर्पित कागजातों की मूल एवं सत्यापित प्रति भी प्रदर्शित किया है। समर्पित किए गए कागजात में रकवा 1.94 एकड़ दर्ज है। समर्पित कागजातों का अवलोकन किया। तरोपरान्त दखल कब्जा संबंधी प्रतिवेदन की माँग संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन, करमाटाँड़ (विद्यासागर) से की गई। मापी के उपरान्त राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0–02 एवं अंचल अमीन ने अंचल निरीक्षक करमाटाँड़(विद्यासागर) के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदी में वर्णित भूमि, यथा मौजा–मटटाँड़, थाना सं0–34, खाता सं0–14/1,दाग सं0–680 रकवा–1.94 एकड़ भूमि पर जमाबंदीधारी के वर्त्तमान जीवित वारिशानों के शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा नक्शा भी समर्पित किया है। बंदोबस्ती कागजात, संलग्न लगान रसीद तथा मापी सह दखल संबंधी जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त वर्णित जमाबंदी सं0–14/1 को नियमित किया जाता है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक, करमाटाँड़(विद्यासागर) को निदेश दिया जाता है कि भैतिक पंजी–II तथा आनलाईन पंजी–II में तत्संबंधी सुधार करें तथा लगान रसीद निर्गत करें। अभिलेख की कारवाई समाप्त की जाती है। 15.06.23 अंचल अधिकारी, करमाटाँड़(विद्यासागर), जामताड़ा।	

Digitally signed by RAM PRAWESH KUMAR
Date: 2024.07.09 15:17:12 +05:30
Location: 192.168.1.3